संलग्नक-04

क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मे0 राजाराम मेझ प्रोडक्ट्स, ग्राम–मोहड़, तहसील एवं जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् मेज बेस्ट प्रोडक्ट्स–120 टीपीडी से 300 एमटीपीडी मेन्युफेक्चरिंग यूनिट एवं अतिरिक्त न्यू सारबीटॉल मेन्युफेक्चरिंग फेसिलिटीज–20 टीपीडी की पर्यावरणीय स्वीकृति स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई।

भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत **मे0 राजाराम मेझ प्रोडक्ट्स, ग्राम–मोहड़, तहसील एवं जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् मेज बेस्ट प्रोडक्ट्स–120 टीपीडी से 300 एमटीपीडी मेन्युफेक्चरिंग यूनिट एवं अतिरिक्त न्यू सारबीटॉल मेन्युफेक्चरिंग फेसिलिटीज–20 टीपीडी की पर्यावरणीय स्वीकृति** के संबंध में उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों नवभारत, रायपुर दिनांक 23.01.2014 एवं टाईम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली दिनांक 23.01.2014 लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोकसुनवाई **अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में मे0 राजाराम मेझ प्रोडक्ट्स के फैक्ट्री परिसर में ग्राम–भोथीपार, तहसील व जिला**–राजनांदगांव में आयोजित की गई है। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी. डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय राजनांदगांव, जिला पंचायत कार्यालय राजनांदगांव, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राजनांदगांव, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव, ग्राम पंचायत सिंघोला, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत करमतरा, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत महराजपुर, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत रानीतराई, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत टटेंगा, जिला–बालोद, ग्राम पंचायत हरदी, जिला–बालोद, ग्राम पंचायत भरदाकला, जिला–बालोद, ग्राम पंचायत सुरगी, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत मुड़पार, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत धामनसरा, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत भोथीपारखुर्द, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत भरेगॉव, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत मोखला, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत जंगलेश्वर, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत तोरनकट्टा, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत चिरचार, जिला–बालोद, ग्राम पंचायत उसरीबोड़, जिला–राजनांदगांव, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार केन्द्रीय पर्यावरण भवन,लिंक रोड नं.–3, ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल–16, डायरेक्टर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, मुख्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, कालोनी, कबीर नगर, रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में रखवाई गई थीं। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि एवं स्थल पर दिनांक 25 फरवरी 2014 दिन मंगलवार को दोपहर 02.10 बजे **श्री डोमन सिंह, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–राजनांदगांव** की अध्यक्षता में मे0 राजाराम मेझ प्रोडक्ट्स के फैक्ट्री परिसर में ग्राम–भोथीपार, तहसील व जिला–राजनांदगांव में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम **श्री ए0 सी0 मालू , क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई** द्वारा भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया पर प्रकाश डाला गया। तदोपरांत उद्योग के पर्यावरण सलाहकार श्री विनोद कुमार गौतम, (पर्यावरण सलाहकार), द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी गई।

तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित क्षमता विस्तार के संबंध में पर्यावरणीय सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 300–400 लोग उपस्थित थे जिसमें लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जो कि निम्नानुसार है :–

1. **श्री हरीशचंद निषाद, ग्राम–धामनसरा , जिला–राजनांदगॉव ।**

- फैक्ट्री खुले 35 साल हो गया है।
- केमिकल का उपयोग कंपनी में नहीं होगा यह कहा जा रहा है।
- फैक्ट्री में पेड़ नजर नहीं आ रहे हैं। फैक्ट्री के हिसाब से पेड़ नहीं लगे हैं।
- भूमि प्रदूषण धामनसरा ग्राम में पानी का सेम्पल नहीं लिया गया है।
- धामनसरा में ध्वनिप्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण की समस्या है।
- यहां अभी बदबू नहीं है। शाम एवं सबेरे बदबू की समस्या रहती है।
- विकास कार्य हेतु आसपास के गांव को गोद नहीं लिया गया है।
- आसपास के क्षेत्रों में कोई सुविधा नहीं दिया गया है।
- किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया गया है ना ही लोगों और ना ही प्रकृति को।
- पानी किसानों को निःशुल्क नहीं दिया जा रहा है। पैसे लेकर पानी दिया जा रहा है।
- मक्का को एसिड में ही पकाया जाता है जिसका दूषित पानी नदी में बहा दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण मण्डल विशेष रूप से ध्यान दे।

2. **श्री राकेश कुमार ठाकुर, डोड़िया, ग्राम–धामनसरा पूर्व सरपंच , जिला–राजनांदगॉव ।**

- प्रस्तावित प्रोजेक्ट झूठा लफ्फाज है।
- प्रबंधन द्वारा रिपोर्ट में खनिज, राजस्व, पी.एच.ई. के संबंध में बताया गया परन्तु यहां पर खनिज, राजस्व, पी.एच.ई. के सरकारी विभाग के अधिकारी उपस्थित नहीं हैं।
- प्रबंधन द्वारा राजाराम मेझ प्रोडक्ट, ग्राम–भोथीपार का बोर्ड लगाया गया है परन्तु भोथीपार पंचायत वाले टैक्स के लिये जाते हैं तो प्रबंधन द्वारा कहा जाता है कि हम राजनांदगांव निगम क्षेत्र में आते हैं। इसलिये गांव के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा।
- उद्योग के लगने से समस्त जनता को एक रूपया का लाभ नहीं हुआ है। बल्कि नुकसान हुआ है।
- बांध बनवाकर सारे किसान को पानी निःशुल्क नही दिया जा रहा है।
- राखड़ के उड़ने से समस्या है।
- प्रबंधन द्वारा गांव के लोगों को लाभ नहीं दिया जाता है।
- नदी का पानी खराब हो गया है सेम्पल कलेक्टर को दिया गया है, कुछ कार्यवाही नहीं हुआ।

- रोजगार नहीं दिया गया है।
- सड़क में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे दुर्घटना होती है।
- राखड़ उड़कर फसलों में बैठ जाता है जिससे पैदावार कम हो जा रहा है।
- गांव में औपचारिक सुविधा का अभाव है।
- उद्योग द्वारा मूलभूत सुविधा नहीं प्रदान की गई है।
- उद्योग द्वारा प्रदूषण रोकने वाले नीम और करंज का वृक्ष नहीं लगाया गया है।
- कंपनी को एन.ओ.सी. चाहिये तो सही जानकारी दें। 120 एमटी से क्या फायदा हुआ है कि 300 एमटी से क्या फायदा होगा इसकी जानकारी देवें।
- प्रबंधन से सुविधा के बारे में जानकारी चाही गई। विषयवार जानकारी देवें।
- प्रोजेक्ट के संबंध में कोई मुनादी नहीं हुई है न पहले न आज।
- क्या गांव के कर्मचारी फैक्ट्री में कार्यरत हैं या नहीं ?
- पार्षद व सरपंच की सहमति से विकास कार्य किया जाना बताया गया परन्तु विकास कार्य नहीं हुआ है।
- मेरी जानकारी में 12 एक्सीडेन्ट का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं।
- रोड़ में लाईन से ट्रकें खड़ी होने से गुजरने में तकलीफ होती है।
- प्रबंधन के माध्यम से सही उत्तर नहीं मिला है।
- कितने गांव में मूलभूत सुविधा दी जायेगी, प्रबंधन द्वारा लिखित आश्वासन दे।
- जन सुनवाई अभी बन्द की जाये। प्रबंधन के पास जवाब नहीं है।
- कृपया इस जन सुनवाई का समापन करें।

3. **श्री जितेन्द्र कुमार चंद्राकर, ग्राम–धामनसरा, पंचायत प्रतिनिधि , जिला–राजनांदगाँव ।**

- प्रबंधन के द्वारा गन्दा पानी शिवनादी में छोड़ा जाता है, इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा लिखित शिकायत दिनांक 10.09.2012 को आयुक्त, नगर निगम को लिखा गया था, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके पश्चात् दिनांक 01.10.2012 को एस.डी.एम. को इसी संबंध में पत्र दिया गया, जिसकी आज तक कार्यवाही नहीं हुई। पुनः दिनांक 29.10.2012 को जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रशासन अभी तक चुप बैठा है।
- उद्योग के द्वारा गन्दा पानी नदी में छोड़ा जाता है, इस संबंध में प्रबंधन से निवेदन किया गया तथा लिखित पत्र भी दिया गया। कार्यवाही नहीं हुई। हमने प्रशासन एवं प्रबंधन के खिलाफ गये और इनके गन्दे पानी नाली के माध्यम से इन्हीं के बांध में छोड़ा गया जिस पर पुलिस कार्यवाही की गई एवं प्रबंधन द्वारा पत्र दिया गया कि कारखाने में बिना अनुमति के प्रवेश किया गया है। दुबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो। अनुमति लेने जाते हैं तो कोई मिलते नहीं हैं। पूर्व सरपंच द्वारा जो प्रश्न उठाये गये हैं उसका जवाब दें।
- उद्योग के आसपास के गांव के लोग पायरालिसिस, बवासीर, खुजली, दमा आदि बीमारी से ग्रस्त हो गये हैं।
- पायरालिसिस से प्रभावित लोगों के बारे में ध्यान आकृष्ट कराया गया तथा कई लोग जिसकी मृत्यु हो चुकी है, के बारे में बताया गया।
- यह प्रस्तावित प्लांट तब तक चालू नहीं होना चाहिये जब तक कि प्रबंधन लिखित में जवाब न दे दें।

4. **श्री हरीराम साहू, भूतपूर्व सरपंच ग्राम–भोथीपार , जिला–राजनांदगॉव ।**

- प्रबंधन को गाड़ी पार्किंग के लिये कई बार बोला गया लेकिन पार्किंग स्थल नहीं बना है।
- गली में कांकीट कार्य नहीं कराया गया है।
- ये आवेदन लेकर अंधा भैरा बन कर बैठे हैं।
- इस प्रोजेक्ट का हम आम जनता के तरफ से विरोध करते हैं।

5. **श्री पुनाराम पटेल, सरपंच ग्राम–धामनसरा , जिला–राजनांदगॉव ।**

- फैक्ट्री बन चुकी है। एन.ओ.सी. कब दिया जाना चाहिए ?
- आप अधिकारीगण कंपनी के पक्ष में सहयोग न देवें।
- सारबिटाल फैक्ट्री बन चुकी है।
- पब्लिक के द्वारा किये गये प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सका।

6. **श्री शाहिद खान, जिला पंचायत सदस्य , जिला–राजनांदगॉव ।**

- क्षेत्र की समस्या गंभीर समस्या है।
- कंपनी प्रबंधक 35 वर्ष से कंपनी चालू किये हुए हैं।
- नदी का पानी जो प्रदूषित हो चुकी है, प्रदूषण से विशेष रूप से ग्राम धामनसरा प्रभावित है।
- प्रबंधन का काम बिना प्लानिंग का था जिससे किसानों और मजदूरों को लाभ नहीं हुआ।
- किसान को पानी देने का आश्वासन देवें।
- आपके द्वारा बनवाया गया शौचालय का औचित्य नहीं है।
- प्रदूषण के बारे में स्पष्ट होना चाहिये जो प्लांट लग रहा है वह प्रदूषणमुक्त हो जिससे किसी प्रकार का हानि न हो।
- जो प्लांट चल रहा है उसको भी प्रदूषण से मुक्त किया जाये।
- यहां के किसानों का शोषण हुआ है।
- यह पहला अवसर है कि पर्यावरण विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आम आदमी को अपनी बात रखने का मौका मिला है।
- प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाना चाहिये, परन्तु नहीं लगाया गया है।
- गांव के लोगों का आकोश इसलिये है क्योंकि प्रबंधन 35 साल में गांव के लोगों के लिये कुछ नहीं किया।
- गांव वालों की अनुमति के बिना फैक्ट्री का विस्तार नहीं होना चाहिये।
- मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी बहुत ही कम है अतः शासन के निर्धारित दर के आधार पर मजदूरी मिलना चाहिये।
- सभी नागरिक यही चाह रहे हैं कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने से लोगों को प्रदूषण से नुकसान दुगुना होने का अंदेशा है।
- कंपनी द्वारा 4 करोड़ सी.एस.आर. के अंतर्गत जो गांव में खर्च के लिये रखा गया है वह कितने वर्ष के लिये है ?
- प्रबंधन से निवेदन है कि एक आदमी की नियुक्ति किया जाये जो समस्याओं को आप तक पहुंचा सके।
- मुड़पार के लोग नदी किनारे निवास करते हैं, लेकिन सिंचाई से वंचित हैं।
- ग्राम–सुरगी से पाईप लाईन डालकर पानी आपके द्वारा लाया गया है।

➢ फैक्ट्री द्वारा किसानों के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा गया। इसलिये वे मूलभूत सुविधा से वंचित हैं।

➢ कंपनी के पक्ष में किसी भी नागरिक द्वारा नहीं कहा गया है।

7. **श्री खुमान पटेल, ग्राम–धामनसरा , जिला–राजनांदगॉव ।**

➢ खराब पानी से खुजली हो गया है। प्रबंधन से पूरा मुआवजा मिलना चाहिये।

8. **श्री चुम्मन निषाद, ग्राम–धामनसरा, सचिव , जिला–राजनांदगॉव ।**

➢ पर्यावरण क्या है ? कृपया समझाने का कष्ट करेंगे।

➢ क्या 120 टीपीडी, में पर्यावरण को क्या कोई नुकसान नहीं होता है ? 300 टीपीडी से पर्यावरण से नुकसान होगा इसलिये सुनवाई किया गया।

➢ पर्यावरण विभाग कितनी बार यहां आकर जांच किये हैं ? जनमानस को कृपया बताने का कष्ट करें।

9. **श्री बिसेलाल पटेल, ग्राम–धामनसरा , जिला–राजनांदगॉव ।**

➢ फैक्ट्री प्रबंधन को उपस्थित होना चाहिये।

➢ फैक्ट्री/प्लांट बन्द किया जाये। हमे जिन्दगी चाहिये।

10. **श्री तेजराम पटेल, वार्ड – 45 हरदी , जिला–राजनांदगॉव ।**

➢ मैं पार्षद् प्रतिनिधि हूं। नौकरी करना अलग बात है।

➢ पर्यावरण विभाग और स्थानीय शासन को धन्यवाद दूंगा जो लोक सुनवाई का कार्यक्रम रखा है।

➢ आसपास के गांव में चिकित्सा शिविर एवं प्रदूषण से पीड़ित का उपचार होना चाहिये। प्रबंधन द्वारा वार्ड में शौचालय का निर्माण कराया गया है।

➢ सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया।

➢ आसपास के गांव को प्रदूषणमुक्त रखने हेतु मूलभूत आवश्यकता की जानकारी लेकर मूलभूत सुविधा का कार्य करना चाहिये। प्रबंधन समस्या की जानकारी लेकर पूरा करें।

11. **श्री भगवती कुमार बंसोड़, बसंतपुर , जिला–राजनांदगॉव ।**

➢ उपस्थित महिला, पुरूष को अपनी समस्या को बोलने का अधिकार है, जिसकी समस्या है।

12. **श्री योगेन्द्र दास वैष्णव, ग्राम–धामनसरा, उपसरपंच , जिला–राजनांदगॉव ।**

➢ मैं धन्यवाद देता राजाराम गुप्ता जी को जिन्होंने यह फैक्ट्री खोला। उसकी सोच गांव की आर्थिक मदद की थी।

➢ श्री सूर्यकांत गुप्ता गांव वालों की नहीं सुनता। जननी सुरक्षा के लिये खर्च करें।

➢ कंपनी प्रबंधन को गांव वालों की बात सुनकर उस पर आवश्यकतानुसार अमल करना चाहिये।

➢ मैनेजमेन्ट उपस्थित लोगों के बातों का जवाब दे।

13. **श्री देवकुमार यादव, ग्राम–भोथीपारखुर्द, जिला–राजनांदगॉव ।**

➢ सी.सी.रोड़ एवं सुलभ शौचालय ये दो ही काम मैनेजमेन्ट के द्वारा बताया गया है, बाकी बचे गांव में इस बारे में योजना क्यों चालू क्यों नहीं की गई।

- उत्पादन बढ़ाने के समय पर्यावरण विभाग का ध्यान क्यों आ रहा है।
- हमारे साथ छल ही होगा।

14. श्री सुंदरलाल साहू, ग्राम–भोथीपारखुर्द नयापार , जिला–राजनांदगॉव ।

- रोड़ में लाईन से गाड़ी खड़ी करने से दुर्घटना होती है। प्रबंधन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है।
- प्रबंधन को केवल पैसा चाहिये। पुलिस के द्वारा गांव को दबाया जाता है।

15. श्री सुरेश कुमार साहू, पूर्व सरपंच ग्राम–भोथीपार , जिला–राजनांदगॉव ।

- फैक्ट्री चालू हुए 35 वर्ष हो चुका है। लगभग 01 किमी. के क्षेत्र में प्रदूषण का प्रभाव है। प्रदूषण विभाग वाले एक बार भी नहीं पहुंचा। फसल सत्यानाश हो जाता है। राखड़ से गर्मी के दिनों में चश्मा नहीं लगाये तो पार नहीं कर पायेगा। पार्किंग व्यवस्था नहीं बनाया गया है।

16. श्री राजेश साहू, ग्राम–कोटराभांठा, सरपंच , जिला–राजनांदगॉव ।

- प्रबंधन द्वारा किसानों को मुफ्त में पानी देने की बात कही जाती है वह झूठ है।
- पर्यावरण विभाग जांच कर लें कि पर्यावरण के नियमों का पालन हो रहा है तो पालन नहीं होने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है। इस बात से हमको अवगत करायें।

17. श्री गिल्लूराम साहू, डोड़िया, ग्राम–धामनसरा , जिला–राजनांदगॉव ।

- इतना पब्लिक बैठा है। आपसे सवाल कर रहे हैं। आप भी इन पर विचार किये होंगे। बताइये मैं सवाल नहीं करूंगा। फैक्ट्री प्रबंधन आसपास के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा पर ध्यान नहीं देता।

18. डॉ0 यशवंत अवस्थी, ग्राम–भरदाकला , जिला–राजनांदगॉव ।

- पर्यावरण विभाग द्वारा यहां जन सुनवाई का आयोजन क्यों किया गया है ? आज तक क्यों नहीं किया गया था ? आज क्या जरूरत थी कि पर्यावरण मण्डल को इस आयोजन के लिये। श्री राजाराम गुप्ता द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिये इस कंपनी का स्थापना किया गया था। कृषि कार्य करने के लिये तालाब का निर्माण कराया। किसानों को सिंचाई के लिये पानी देने के आश्वासन दिया गया। अभी तक प्रबंधन द्वारा किसी भी योजना का लाभ आसपास के ग्रामीणों को नहीं दिया गया। हम सब मिलकर सोचें कि इस कंपनी को बन्द कराये या चालू करायें। आज सभी ने जायज मांगों को रखा है। यहां से 10–12 किमी. दूर तक डस्ट उड़ता है। रोड़ किनारे लाईन से ट्रकें खड़ी कर दी जाती है। प्रबंधन समिति से कहूंगा कि जनता जो चाहती है उसको लिखित में दे जिससे कंपनी भी चले और किसी को नुकसान न हो।

19. श्री देव कुमार साहू, ग्राम–मुड़पार, सरपंच , जिला–राजनांदगॉव ।

- श्री गुप्ता जी (फैक्ट्री प्रबंधन) के पास दो तीन बार ग्राम मुड़पार की समस्या लेकर गया था, प्रबंधन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।

20. श्री बिसालिक राम साहू, ग्राम–सिंदई , जिला–राजनांदगॉव ।

- एक चित्रकार एक चित्र बनाता है और उसे सुधारने के लिये आम लोगों को कहकर चला जाता है। लोग उसमें बहुत जगह सुधार करते हैं।

21. **श्री बिसेलाल पटेल, ग्राम–धामनसरा , जिला–राजनांदगॉव ।**

➢ हम किसान हैं। 120 टीपीडी को नहीं सम्हाल सकते हैं तो 300 टीपीडी को अनुमति क्यों दे रहे हैं

22. **श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम–मुड़पार सरपंच , जिला–राजनांदगॉव ।**

➢ हमारी समस्या को प्रबंधन ने टाल दिया। आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ।

23. **श्री धनपत साहू , जिला–राजनांदगॉव ।**

➢ यहां वृक्ष दिख रहा है वह किसानों के हैं। आसपास करा सकेंगे। वृक्षारोपण नहीं कराया गया है।

24. **श्रीमती सुमित्रा बाई, पंच ग्राम–धामनसरा, जिला–राजनांदगॉव ।**

➢ हमारे गांव की कोई सुनवाई नहीं होती है इस कारण हम सब गांव के लोग यहां पर आये हैं। गांव में खुजली फैल रही है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है।

लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव, विचार एवं आपत्तियों के परिपेक्ष्य में उद्योग का पक्ष रखने हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–राजनांदगांव द्वारा उद्योग प्रबंधन को निर्देशित किया गया। उद्योग के पर्यावरण सलाहकार श्री विनोद कुमार गौतम, (पर्यावरण सलाहकार), मे0 एस.जी.एस.इंडिया प्रा.लि., दिल्ली द्वारा जन सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव, विचार व आपत्तियों के संबंध में मौखिक जानकारियां दी गई जो निम्नानुसार है :–

❖ प्रस्तावित प्रोजेक्ट 23.42 करोड़ से क्षमता विस्तार किया जायेगा। जिसमें मुख्य रूप से सारबिट्राल मक्का से निर्माण होगा।
❖ मीथेन जलाने से कोई प्रदूषण नहीं होगा।
❖ निकलने वाले वेस्ट को बाहर निस्सारित नहीं किया जायेगा।
❖ हरित पट्टिका विकास 4 एकड़ क्षेत्र में किया जायेगा। जिसके लिये सी.एस.आर. बनाया गया है। जिसमें विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम करवाया जाना है।
❖ डैक्ट्रोस में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होकर सारबिटाल प्रोडक्ट बनेगा।
❖ कंपनी में क्षमता विस्तार किया जायेगा, जहां सारबिटाल का उत्पाद किया जायेगा।
❖ सारबिटाल प्लांट में केमिकल के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जायेगा।
❖ भारत सरकार के अप्राइजल कमेटी के समक्ष प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रजेन्टेशन करवाया गया है।
❖ प्रस्तावित कंपनी में सोलर पावर के उपयोग से प्रदूषण की संभावना कम होगी।
❖ वर्तमान में 6, 10 व 15 टन का बायलर स्थापित है। अलग से और बालयर लगाया नहीं जायेगा।
❖ प्रस्तावित प्रोजेक्ट में 4 टन से 7.5 टन भूंसी का उपयोग किया जायेगा। भूंसी जलाने से राख उत्पन्न होती है जिसे ईंट भट्टे वाले बिक्स निर्माण, प्लांट परिसर, खाद के रूप में विभिन्न रूप में उपयोग किया जायेगा।
❖ ईटीपी से बायोगैस जनरेट होती है जिसे बायलर चलाने में उपयोग किया जाता है।
❖ प्रस्तावित प्रोजेक्ट के 10 किमी. परिधि में संवेदनशील क्षेत्र नहीं है।
❖ जल एवं वायु गुणवत्ता का प्रभाव सामान्य रहेगा। प्रस्तावित प्रोजेक्ट से इस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।
❖ कोयले के द्वारा बालयर को संचालित किया जायेगा, इसलिये सल्फर उत्पन्न नहीं होगा।

- ❖ प्लांट लगने से नदी जल दूषित नहीं होगा अर्थात् लौह की मात्रा सारबिटाल प्रोडक्ट बनने के कारण प्रभावित नहीं होगा।
- ❖ गांव में हमारे महिला विशेषज्ञ द्वारा आसपास के गांव में जाकर समस्या का निराकरण किया जायेगा। जिसके प्रमुख श्री गिरधारी लाल पटेल, धामनसरा, श्री रोशन साहू, सरपंच सिंघोला, श्री चंद्रकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गांव में सुझाव लिया गया।
- ❖ पानी का सेम्पल मलपुरी, भोथीपारखुर्द, सिंघोला से लिया गया है।
- ❖ फैक्ट्री में कुल 576 वर्कस हैं। आसपास के गांव के ही लोग कार्यरत हैं।
- ❖ नजदीकी गांव हरदी में सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया।
- ❖ भोथीपारखुर्द में कांक्रीकरण का कार्य कराया गया है।
- ❖ सी.एस.आर.की रिप्रोर्ट भारत शासन को सबमिट की जाती है जिसे इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है।
- ❖ हर 6 माह में एक बार रिपोर्ट भारत शासन को प्रेषित की जाती है।

जन सुनवाई में उपस्थित लोगों द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन को समस्याओ के बारे में लिखित एवं मौखिक रूप में आश्वासन चाहा गया।

- ❖ **श्री नितिन गुप्ता एम.डी. राजाराम मेझ प्रोडक्ट** द्वारा उपस्थित लोगों की समस्याओं का निराकरण
करने का मौखिक आश्वासन दिया। जिसके लिये जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा करने की बात कही। किसानों को पानी देने की बात पर उपलब्धता अनुसार पानी देने कहा गया। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी समस्या तकलीफ बतायें है प्रदूषण, धुआं, बदबू आदि के संबंध में मैं निराकरण करूंगा ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। उद्योग से प्राप्त टीका–टिप्पणी के संबंध में लिखित जवाब **संलग्न–2** अनुसार है।

उपस्थित जन समूह में से इच्छुक लोगों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के उपरांत श्री ए0सी0 मालू, क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त टीका–टिप्पणी उपस्थित जनों को पढ़ कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान दिनांक 25 फरवरी 2014 दिन मंगलवार को मौखिक रूप से 23 लोगों ने टीका–टिप्पणी दर्ज कराये जो उपरोक्तानुसार है। तथा लिखित में 06 आवेदन मौके पर प्राप्त हुआ। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन का विषय
1.	सरपंच, ग्राम पंचायत धामनसरा, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)।	मे0 राजाराम मेझ प्रोडक्ट्स, ग्राम–मोहड़, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत मेज .बेस्ट प्रोडक्ट्स–120 टीपीडी से 300 टीपीडी केन्यु फेक्चरिंग यूनिट एवं अतिरिक्त न्यू सारबिटाल मेन्युफेक्चरिंग फेसिलिटीज–20 टीपीडी की पर्यावरणीय स्वीकृति पर रोक लगाने बाबत्।
2.	अध्यक्ष, श्री चंपालाल साहू, सचिव, श्री अनिल कुमार साहू एवं समस्त ग्रामवासी,	राजाराम मेझ प्रोडक्ट में खतरनाक संयंत्र लगाने पर आपत्ति बाबत्।

	ग्राम–भोथीपारखुर्द (नयापारा), पो0 सुरगी, तहसील व जिला– राजनांदगांव (छ.ग.)।	
3.	अध्यक्ष, श्री चंपालाल साहू, सचिव, श्री अनिल कुमार साहू एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम–भोथीपारखुर्द (नयापारा), पो0 सुरगी, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)।	गाड़ियों को खड़ा करने के लिये पार्किंग एवं प्रदूषण बाबत्।
4.	श्रीमती पुन्नी बाई, सरपंच, ग्राम–भोथीपारखुर्द, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)।	सरबीटाल प्लान्ट (गैस) के आपत्ति हेतु।
5.	श्री अशोक कुमार साहू , सरपंच ग्राम पंचायत मुड़पार, वि.खं. व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)।	मे0 राजाराम मेझ प्रो0 मोहड़ तह0 व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत मेज बेस्ट प्रोडक्ट्स मेन्युफेक्चरिंग फेसिलिटीज–20 टीपीडी की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में आपत्ति बाबत्।
6.	समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत धामनसरा पो0 सुरगी तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)।	न्यू सारबिटाल मेन्युफेक्चरिंग प्लांट की आपत्ति बाबत्।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनों से हस्ताक्षर लिये जा रहे थे। 100 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिये थे, परन्तु इसी दौरान उपस्थित जन समुदाय द्वारा आक्रोशवश हस्ताक्षर शीट को फाड़ दिया गया। अतः हस्ताक्षर शीट **संलग्न** नहीं किया जा रहा है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए शाम 04.56 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

(ए0 सी0 मालू)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

(डोमन सिंह)
अति0 जिला दण्डाधिकारी
जिला–राजनांदगांव